



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 973 वर्ष 2004

अपीलकर्ता : बिंधाचला गोंड

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील क्रमांक 455 वर्ष 2005

अपीलकर्ता : काशीराम

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

श्रीमती सविता तिवारी एवं श्रीमती किरण जैन, अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

श्री वैभव गोवर्धन पी.एल., प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से अधिवक्ता।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दाण्डिक अपीलें।



निर्णय

(दिनांक 3.02.2012)

1. चूंकि ये दोनों अपीलें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) रामानुजगंज, जिला सरगुजा द्वारा दिनांक 28.10.2004 को पारित उसी निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, जिसमें सत्र विचारण क्रमांक 266/2003 में अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2) (छ) के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराया गया तथा प्रत्येक को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई तथा 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया, अर्थदंड न चुकाए जाने के व्यतिक्रम में अतिरिक्त छह माह की सश्रम कारावास की सजा दी गई, अतः इन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा निस्तारित किया जा रहा है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 7.1.2003 को अभियोक्ति (अभि.सा-1) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 3.1.2003 को लगभग दोपहर 12 बजे वह अपने पिता के खेत में गई थी और लगभग शाम 4 बजे उसके पति बिंधाचला गोंड (दाण्डिक अपील क्रमांक 973/2004 के अपीलकर्ता) के साथ-साथ अभियुक्त काशीराम (दाण्डिक अपील क्रमांक 455/2005 के अपीलकर्ता) खेत में आए और अभियुक्त बिंधाचला ने चिल्लाकर कहा कि वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। आरोप है कि वह और उसकी देवरानी भागने लगीं, लेकिन अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे खेत में ले गए और जब उसने आवाज उठाने की कोशिश की तो अभियुक्त बिंधाचला ने उसे धमकाया और उसके मुंह में



कपड़े का टुकड़ा ठूस दिया। दोनों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और अभियुक्त काशीराम ने उसके साथ बलात्कार किया, उस समय अन्य अभियुक्त बिंदाचला ने उसे पकड़ रखा था। इसके पश्चात् अभियुक्त काशीराम ने उसे पकड़ लिया और अभियुक्त बिंदाचला ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार के पश्चात् उन्होंने उसे धमकी दी कि यदि उसने इस घटना की पुलिस को सूचना दी तो उसे मार डाला जाएगा। घर लौटने के पश्चात् उसने अपनी मां, पिता और देवरानी को पूरी घटना बताई और जीवन की धमकी के कारण उसने तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2) (छ) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् पुलिस द्वारा उक्त अपराध के लिए चालान पेश किया गया।

3. अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को सिद्धदोष ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष ने 14 साक्षियों का परिक्षण किया। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के कथन भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने उनके विरुद्ध अधिरोपित आरोपों से अस्वीकार किया तथा अपनी निर्दोषता बताई और प्रकरण में झूठी फंसाए जाने अभिवाक किया।
4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को इस निर्णय के पैरा-1 में उल्लिखित प्रकार से सिद्धदोष ठहराया तथा सजा सुनाई। अतः यह अपील प्रस्तुत की गयी।



5. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क है कि यह ऐसा मामला है जिसमें अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को पुरानी विवाद और दुश्मनी के कारण झूठे प्रकरण में फंसाया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में चार दिनों की असामान्य विलम्ब हुई है, जिसकी संतोषजनक व्याख्या अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं की गई है। उन्होंने आगे निवेदन कि अभियोक्ति की चिकित्सा रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्त/अपीलकर्ता बिंदाचला अभियोक्ति का पति है और इसलिए यदि पत्नी के साथ उसके पति द्वारा शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि सभी साक्षी ने बताया है कि अभियोक्ति और अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के बीच कुछ विवाद था, लेकिन इसे अनदेखा करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें उपरोक्तानुसार सिद्धदोष ठहराकर सजा सुनाई गई है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है और इसलिए संदेह का लाभ अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को दिया जाना चाहिए।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी /राज्य के अधिवक्ता ने अपेक्षित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त बिंदाचला और अभियोक्ति के बीच पहले से ही अलगाव हो चुका था और इसलिए वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने निवेदन किया कि अभियोक्ति द्वारा अभियुक्त काशीराम को झूठे



प्रकरण में फंसाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने का कोई कारण बताने वाला कोई साक्ष्य बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें अभियुक्त बिंदाचला जो अभियोक्त्रि का पति है ने सह-अभियुक्त काशीराम को उसके साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति दी, जो उसके विकृत मानसिक अवस्था को दर्शाता है। उनके अनुसार, रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई विलम्ब की अभियोजन पक्ष द्वारा बहुत अच्छी तरह व्याख्या की गई है कि दोनों अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा जीवन की धमकी दिए जाने के कारण अभियोक्त्रि ने रिपोर्ट तुरंत दर्ज नहीं कराई। उन्होंने आगे निवेदन किया कि चिकित्सा रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 अभियोजन पक्ष के प्रकरण का पूर्ण समर्थन करती है, जिसमें अभियोक्त्रि की अन्वेषण करने वाले डॉक्टर ने कहा है कि उसके साथ यौन संबंध बनाए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट का अभाव अभियोजन पक्ष के लिए कोई सहायता नहीं है।

7. अभियोक्त्रि (अभि.सा-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को जानती थी। घटना की दिनांक पर जब वह एक मजदूर के साथ खेत में काम कर रही थी, तब अभियुक्त/अपीलकर्ता दौड़ते हुए उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके अनुसार, उसका विवाह अभियुक्त बिंदाचला से हुआ था लेकिन उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में नहीं रखा और इस प्रकार उसे छोड़ दिया। सबसे पहले अभियुक्त बिंदाचला ने उसे पकड़ा, फिर उसने अन्य अभियुक्त को बुलाया। इसके पश्चात अभियुक्त काशीराम भी वहां आया और उसने भी उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे पास के पेड़ के पास ले गए,



अभियुक्त बिंधाचला ने उसे जमीन पर लिटाया और जबकि वह उसे पकड़े हुए था, अभियुक्त काशीराम ने उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए, फिर अभियुक्त काशीराम ने उसे पकड़ा और अभियुक्त बिंधाचला ने उसके साथ बलात्कार किया। एक के पश्चात एक उसके साथ बलात्कार करने के पश्चात उन्होंने उसे छोड़ दिया और भाग गए। उसके अनुसार, बलात्कार करते समय वे उसे धमकी दे रहे थे कि यदि उसने इस घटना को किसी को बताया तो उसे मार डाला जाएगा। इसके पश्चात वह अपने माता-पिता के घर आई और अपनी मां तथा पिता को पूरी घटना बताई तथा अगले दिन मौखिक रूप से पुलिस को सूचना दी गई। इसके पश्चात उसने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज कराई गई और उसने उस पर अपना अंगूठा लगाया। उसकी सहमति से उसकी चिकित्सा अन्वेषण कराई गई, पुलिस ने साक्षी की उपस्थिति में उसका पेटिकोट जब्त किया, घटनास्थल का नक्शा उसकी उपस्थिति में तैयार किया गया और इन सभी दस्तावेजों पर उसने अपना अंगूठा लगाया। प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि विवाह के पश्चात अभियुक्त/अपीलकर्ता बिंधाचला ने उसे ठीक से रखा था और उनके वैवाहिक संबंध से एक बच्चा भी पैदा हुआ था। उसने कहा कि उसका ससुराल और मायका दोनों एक ही गांव में हैं और जब भी वह इनमें से किसी एक स्थान पर रहना चाहती थी, वह अपनी इच्छानुसार रहती थी। इस साक्षी के अनुसार, कभी-कभी भोजन को लेकर कुछ विवाद होता था और उसके पति, सास तथा ससुर गरीब परिवार से थे तथा मजदूरी का काम करते थे। हालांकि उसने अस्वीकार किया कि उसके ससुराल में भोजन के लिए कोई समस्या थी और इसी कारण वह मायके जाकर रहती थी।



उसके अनुसार, पहले जब भी वह मायके जाती थी, अभियुक्त बिंधाचला उसे वापस लेने आता था लेकिन पश्चात में उसने ऐसा करना बंद कर दिया। उसने आगे कहा कि घटना से चार माह पूर्व जब अभियुक्त बिंधाचला उसे वापस लेने गया था, तो उसके पिता ने उसे भेजने से अस्वीकार कर दिया और उसे भगा दिया। उसने अस्वीकार किया कि उसके भाई और पिता ने अभियुक्त बिंधाचला को कुएं में फेंका था। हालांकि उसने स्वीकार किया कि अभियुक्त बिंधाचला ने उसके भाई और पिता के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके पश्चात उनके बीच कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था। उसने कहा कि पहले अभियुक्त बिंधाचला उसे बहुत प्यार करता था लेकिन पश्चात में उसने उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। उसने अस्वीकार किया कि अभियुक्त बिंधाचला ने उसे नहीं छोड़ा बल्कि वह खुद उसे छोड़कर चली गई। उसने कहा कि अभियुक्त बिंधाचला से उसका विवाह पांच वर्ष पहले हुआ था। उसने आगे कहा कि खेत में जिस मजदूर के साथ वह काम कर रही थी, वह उसे नाम से नहीं जानती है। उसने आगे कहा कि उसके खेत के आसपास अन्य व्यक्तियों के खेत हैं, जिसमें उसके चाचा का खेत भी शामिल है। उसके अनुसार, यह कहना गलत है कि उसने कोई हल्ला नहीं मचाया, बल्कि उसने थोड़ा-बहुत हल्ला मचाया था। उसने आगे कहा कि जो मजदूर उसके साथ खेत में गया था, उसने आवाज नहीं उठाई। फिर उसने कहा कि जब अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था, तब वह मजदूर भी घटनास्थल से भाग गया। उसने कहा कि रिपोर्ट उसके पिता द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी और उसने केवल उस पर अपना अंगूठा लगाया था। उसके अनुसार, यह सत्य है कि रिपोर्ट





उसे पढ़कर नहीं सुनाई गई थी। उसने अस्वीकार किया कि अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। उसने अस्वीकार किया कि घटना के 4-5 दिन पश्चात पुलिस को सूचना दी गई, बल्कि उसने कहा कि रिपोर्ट घटना के ठीक एक दिन पश्चात दर्ज कराई गई थी। दयाराम (अभि.सा-25 - अभियोक्ति के पिता, जो अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन करते हैं) ने कहा कि घटना की दिनांक पर अभियोक्ति ने उन्हें घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि घटना दिनांक से एक वर्ष पहले अभियुक्त बिंदाचला ने अभियोक्ति को छोड़ दिया था, जिसके कारण अभियोक्ति ने उसके विरुद्ध न्यायालय में भरण-पोषण का मामला दायर किया था और इसी कारण वह क्रोधित हो गया तथा सह-अभियुक्त काशीराम के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार करवाया। इस साक्षी ने आगे कहा कि घटना के पश्चात अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा पंचायत की बैठक बुलाई गई थी, जहां उन्होंने उससे कहा कि अभियोक्ति को उसके साथ रख ले क्योंकि उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया है। उन्होंने उसे पुलिस में रिपोर्ट न करने की धमकी भी दी। हालांकि, उनकी धमकी के बावजूद उसने अभियोक्ति को थाने ले जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले उनके और अभियुक्त बिंदाचला के बीच कुछ विवाद था लेकिन अस्वीकार किया कि उन्होंने अभियुक्त बिंदाचला को कुएं में फेंका था। इस साक्षी ने आगे कहा कि घटना की दिनांक से लगभग चार माह पहले अभियुक्त बिंदाचला अपनी पत्नी को वापस लेने उसके घर आया था लेकिन उसने उसे साथ जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने स्वीकार किया कि अभियुक्त बिंदाचला द्वारा उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज



कराए जाने के कारण उनके बीच शत्रुतापूर्ण संबंध थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके और अभियुक्त बिंदाचला के बीच दुश्मनी थी लेकिन अस्वीकार किया कि उक्त दुश्मनी के कारण उन्होंने उसे झूठे प्रकरण में फंसाया है। जमनाबाई (अभि.सा-3) अभियोक्ति की मां ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन करते हुए कहा कि अभियोक्ति ने उन्हें घटना बताई थी। इस साक्षी ने भी अभियुक्त बिंदाचला और उसके परिवार के सदस्यों के बीच दुश्मनी स्वीकार की है। फुलकुंवर बाई (अभि.सा-4) ने कहा कि घटना की दिनांक पर वह और अभियोक्ति खेत में गई थीं और लगभग शाम 4 बजे अभियुक्त/अपीलकर्ता दौड़ते हुए वहां आए और अभियोक्ति को पकड़ लिया। इस स्तर पर अभियोजन पक्ष द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। रामदेव (अभि.सा-5) अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के अंडरगारमेंट्स तथा अभियोक्ति के पेटिकोट की जब्ती के साक्षी हैं जो प्रदर्श पी-7, पी-8 तथा पी-3 के तहत की गई थी। शिवनारायण (अभि.सा-6) — प्रदर्श पी-7 के तहत जब्त वस्तुओं के एक अन्य साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल रवि प्रसाद कुशवाहा (अभि.सा-7) वह साक्षी हैं जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज की। दानिया गिद्ध (अभि.सा-8) पुलिस आरक्षक हैं जिन्होंने अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी की सहायता की। मंगल साय (अभि.सा-9) अन्वेषण अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया है। डॉ. एच.एल. सिंह (अभि.सा-10) वह साक्षी हैं जिन्होंने अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं की चिकित्सा अन्वेषण की और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 तथा



पी-12 दी जिसमें कहा गया कि वे यौन संबंध बनाने में सक्षम थे। कांस्टेबल बाबूनाथ सिंह (अभि.सा-11) वह साक्षी हैं जिन्होंने अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी की सहायता की। रामलोचन गोंड (अभि.सा-12) प्रदर्श पी-7 के तहत जब्त वस्तुओं के साक्षी हैं, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। बाबूलाल (अभि.सा-13) प्रदर्श पी-3, पी-7 तथा पी-8 के तहत जब्त वस्तुओं के साक्षी हैं, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया है। डॉ. मंजू एक्का (अभि.सा-14) वह साक्षी हैं जिन्होंने अभियोक्ति की चिकित्सा अन्वेषण की और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 दी जिसमें कहा गया कि उसके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई तथा वह यौन संबंधों की आदी है। हालांकि उन्होंने अभियोक्ति के साथ हाल के यौन संबंधों के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी है। मोती सिंह (उ.सा -1) ने अपने साक्ष्य में कहा कि अभियुक्त बिंधाचला गरीब व्यक्ति है और वह तथा उसकी पत्नी शुरू में खुशी से रहते थे लेकिन भोजन को लेकर उनके बीच कुछ विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि जब अभियुक्त बिंधाचला अभियोक्ति के पिता के घर गया तो उन्हें उन लोगों द्वारा पीटा गया और उन्होंने अभियोक्ति को उसके साथ नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि अभियोक्ति के पिता द्वारा अभियुक्त बिंधाचला को कुएं में भी फेंका गया था। इस साक्षी के अनुसार, अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को झूठे प्रकरण में फंसाया गया है और बलात्कार की कोई घटना कभी हुई ही नहीं।



8. अभियोक्ति (अभि.सा-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक पर वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी और अभियुक्त/अपीलकर्ता बिंधाचला जो उसका पति था, उसे छोड़ चुका था। साथ ही उसने यह भी कथन किया कि विवाह के पश्चात वह उसके साथ खुशी से रह रही थी और उनके वैवाहिक संबंध से एक बच्चा भी पैदा हुआ था। कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियोक्ति जो अभियुक्त/अपीलकर्ता बिंधाचला की पत्नी है, किसी अलगाव के डिक्री के तहत या किसी रिवाज या प्रथा के तहत अपने पति से अलग रह रही थी, बल्कि अभियोक्ति के माता-पिता (अभि.सा-2 और अभि.सा-3) के साक्ष्य से पता चलता है कि घटना दिनांक से चार माह पहले जब अभियुक्त/अपीलकर्ता बिंधाचला अभियोक्ति को वापस लेने उनके घर आया था, तो उन्होंने अभियोक्ति को उसके साथ नहीं भेजा लेकिन उसी रात उसके पिता ने जमनाप्रसाद, मताप्रसाद और गहबर नामक तीन अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अभियोक्ति को लेकर अभियुक्त बिंधाचला के घर गए और उसे वहां छोड़ दिया। साक्ष्य से आगे यह भी पता चलता है कि अभियुक्त बिंधाचला द्वारा अभियोक्ति के माता-पिता के विरुद्ध यह रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के पश्चात कि उन्होंने उसे कुएं में फेंका था, उनके बीच संबंध पक्षद्रोही हो गए थे और इसलिए इस प्रकरण में उसे झूठे तरीके से फंसाए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। स्वीकृत तथ्य से, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में चार दिनों की विलम्ब हुई है क्योंकि घटना 3.1.2003 को हुई थी जबकि प्रदर्श पी-1 एफआईआर 7.1.2003 को दर्ज की गई और इस असामान्य विलम्ब की अभियोजन पक्ष द्वारा ठीक से व्याख्या नहीं की गई है सिवाय इसके कि



अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई धमकी के कारण इसे तुरंत दर्ज नहीं कराया जा सका। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा अभियोक्ति के माता-पिता के पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए, एफआईआर दर्ज कराने में विलम्ब के लिए दिया गया यह कारण इतना आकर्षक नहीं लगता, विशेषकर जब अभियोक्ति और अपीलकर्ता एक ही गांव में रहते थे और पुलिस थाना भी वहां से बहुत दूर नहीं था। इसके अलावा, अभियोक्ति के कथन के अनुसार रिपोर्ट उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई थी बिना उसे पढ़कर सुनाए और उसने केवल उस पर अपना अंगूठा लगाया था, जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है, विशेष रूप से अभियोक्ति के पिता और भाई तथा अभियुक्त/अपीलकर्ता बिंदाचला के बीच पक्षद्रोही संबंधों को देखते हुए क्योंकि उसने उनके द्वारा उसे कुएं में फेंके जाने के संबंध में उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अतिरिक्त, एकमात्र बचाव पक्ष के साक्षी मोती सिंह (उ.सा -1) के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि जब अभियोक्ति के पिता रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गए थे तो पुलिस ने उन्हें बताया कि अभियुक्त बिंदाचला के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है इसलिए उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए और संभवतः इसी कारण अन्य अभियुक्त काशीराम को इस प्रकरण में घसीटा गया है। अभियोजन पक्ष के साक्षी द्वारा प्रस्तुत कथा अत्यधिक असंभाव्य प्रतीत होती है और इसलिए बिना किसी ठोस और निर्णायक साक्ष्य के जो इन साक्षी के कथन का समर्थन करता हो, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।



9. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, विचारण न्यायालय साक्ष्यों का विवेचना करते हुए स्वयं को भ्रमित करता प्रतीत होता है तथा अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को उपरोक्तानुसार सिद्धदोष ठहराकर सजा सुनाने में त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में, अपेक्षित निर्णय द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज की गई निष्कर्षों को बरकरार नहीं रखा जा सकता और उन्हें तदनुसार अपास्त किया जाता है।

10. इस प्रकार अपीलें स्वीकार की जाती हैं और अपेक्षित निर्णय अपास्त किया जाता है। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त/अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनकी जमानत बंधपत्र उन्मोचित की जाती

हैं।



सही

प्रीतिकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: ईशा ति वा री